

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची-834001

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम
तिथि-19.01.2018

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या - 27/2017

झारखण्ड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रतियोगिता परीक्षा

झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अधियाचित निम्नांकित राजपत्रित पदों के लिए झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के अर्हताधारियों से ऑनलाइन (Online) विहित-प्रपत्र (आयोग के वेबसाइट www.jpssc.gov.in पर उपलब्ध) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. रिक्त पदों का विवरण:-

क्र०सं०	सेवा का नाम	पद का नाम	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)	कुल
1	2	3	4	6	7	8
1.	राज्य पुलिस सेवा	पुलिस उपाधीक्षक	—	—	04	04
2.	राज्य कारा सेवा	कारा अधीक्षक	02	01	01	04
3.	राज्य नियोजन सेवा	नियोजन पदाधिकारी/ जिला नियोजन पदाधिकारी	02	—	—	02
कुल						10

नोट:- सेवाओं एवं पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. वेतनमान:-

राज्य पुलिस सेवा	9300 - 34800 ग्रेड पे - 5400
राज्य कारा सेवा	9300 - 34800 ग्रेड पे - 5400
राज्य नियोजन सेवा	9300 - 34800 ग्रेड पे - 4800

3. शैक्षणिक योग्यता:-

ऑनलाईन आवेदन भरने की तिथि को आवेदक को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में कम से कम स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

4. **उम्र गणना की तिथि एवं न्यूनतम उम्र सीमा :-** संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा बैकलॉग हेतु उम्मीदवारों के न्यूनतम उम्र सीमा एवं उम्र गणना की तिथि सेवावार निम्नवत् होगी :-

सेवा का नाम	उम्र गणना की संदर्भ तिथि	न्यूनतम उम्र सीमा
राज्य नियोजन सेवा	01.08.2013	21 वर्ष
राज्य पुलिस सेवा	01.08.2016	20 वर्ष
राज्य कारा सेवा	01.08.2017	22 वर्ष

5. **उम्र सीमा:-**

- (ख) अनु०जनजाति (पुरुष एवं महिला) – अधिकतम 40 वर्ष।
 (ग) पिछड़ा वर्ग (Annexure-II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)– अधिकतम 37 वर्ष।
 (घ) महिला (पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग) – अधिकतम 38 वर्ष।
 (ङ.) झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो उनको अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी। निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय के कर्मी सरकारी सेवक के रूप में मान्य नहीं होंगे एवं उन्हें उम्र सीमा में इस तरह की छूट नहीं दी जायेगी।
 (च) भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी।
 (छ) अधिकतम उम्र सीमा की गणना सेवावार निर्धारित क्रमांक-04 में अंकित संदर्भ तिथि के अनुसार की जायेगी।

6. **कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-8315 दिनांक-16.09.2015 के अनुसार संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गयी है।**

7. **आरक्षण का लाभ :-**

- (क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
 (ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक- 6763 दिनांक-05.08.2016 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
 (ग) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि तथा प्राधिकार का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
 (घ) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। निर्धारित विहित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 (ङ.) संबंधित जाति प्रमाणपत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्वहस्ताक्षरित प्रति अन्य वांछित प्रमाणपत्रों के साथ विज्ञापन की कण्डिका 17(थ) के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।
 (च) आरक्षण से संबंधित उक्त कण्डिकाओं का अक्षरशः पालन नहीं किए जाने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

- (छ) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (ज) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(I) अनुसूचित जनजाति :-

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5682 दिनांक 22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-I में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-II (ननक्रीमीलेयर सहित) में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत अद्यतन (Updated) जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

8. **चिकित्सकीय जाँच:-** नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी। उन्हें सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता के मापदण्ड के अनुरूप होना होगा। उन्हें वैसे सभी चिकित्सकीय जाँचों में उत्तीर्ण होना होगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित है।
9. **झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा एवं राज्य कारा सेवा के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता-**
- (क) पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई-165 से0मी0।
- (ख) अनुसूचित जन जाति वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई-162 से0मी0।
- (ग) पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लम्बाई-155 से0मी0 तथा
- (घ) अनुसूचित जन जाति वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लम्बाई-152 से0मी0।
- (ङ) पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 81 से0मी0 तथा अनुसूचित जन जाति के पुरुष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 79 से0मी0 होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए सीना का माप नहीं होगा।
10. **झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि के पद पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय जाँच की माप परिशिष्ट-क में निर्धारित है।**

(परिशिष्ट-क)

पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि के पद पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय जाँच की माप निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगी :-

उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुरूप स्वस्थ होना आवश्यक होगा:-

- (क) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए।
- (ख) उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत्त नहीं चाहिए।
- (ग) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए तथा रक्तदाब सामान्य हो।
- (घ) शारीरिक अपंगता न हो।
- (ङ) उम्मीदवार Claw Hand से ग्रसित न हो।
- (च) उम्मीदवार एच0आई0वी0 मुक्त हो।
- (छ) पुरुष उम्मीदवार को दूर-दृष्टि चार्ट में प्रत्येक आँख से ऐनक सहित या ऐनक रहित 6/6 होनी चाहिए।
- (ज) उम्मीदवार को वर्णांधता (Colourblindness) एवं निशांधता (Nightblindness) न हो।

- (झ) रूटीन ई0सी0जी0 तथा ई0ई0जी0 सामान्य सीमा में हो।
 (ञ) उम्मीदवार का श्रवण क्षमता सामान्य हो।
 (ट) हाईड्रोसील, बेरिकोसिल या पाईल्स का रोग नहीं होना चाहिए।
 (ठ) चर्म का ऐसा रोग, जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना हो तो उससे भी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी।

11. **परीक्षा का स्वरूप:**— चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा (लिखित एवं साक्षात्कार) आयोजित की जायेगी।

(A) **प्रारंभिक परीक्षा** :- प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर संसूचित रिक्तियों की संख्या के 15 गुणा उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुनाव (Shortlisting) किया जायेगा। प्रारंभिक परीक्षा दो पत्रों की होगी जिनका पूर्णांक 200-200 (कुल चार सौ) होगा। इनके प्राप्तांक मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़ा नहीं जायेगा। दोनों पत्रों की परीक्षा ओ0एम0आर0 आधारित होगी। प्रारंभिक परीक्षा में OMR SHEET को अनुदेश के अनुसार भरना आवश्यक होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। प्रारंभिक परीक्षा के सभी विषयों/पत्रों में अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् है :-

SYLLABUS FOR THE PRELIMINARY TEST OF COMBINED CIVIL SERVICES BACKLOG EXAMINATION

The Preliminary Examination shall consist of two compulsory papers, each of 200 marks namely,

(i) **General Studies Paper-I**

(ii) **General Studies Paper-II**

Both the question papers shall be of multiple choices, objective type. The question papers will be set both in Hindi and English.

General Studies Paper-I

Total Marks:200

Time: 2 hours

This paper will consist of 100 objective type questions, each of 2 marks, drawn from the subjects listed below. Candidates will have to answer all the questions.

- (A) **History of India:** 15 Questions
 1. Ancient India (5 questions)
 2. Medieval India (5 questions)
 3. Modern India (5 questions)
- (B) **Geography of India:** 10 Questions
 1. General Geography (3 questions)
 2. Physical Geography (3 questions)
 3. Economic Geography (2 questions)
 4. Social & Demographic Geography (2 questions)
- (C) **Indian Polity and Governance:** 10 Questions
 1. Constitution of India (4 questions)
 2. Public Administration and Good Governance (4 questions)
 3. Decentralization: Panchayats & Municipalities (2 questions)
- (D) **Economic and Sustainable Development:** 10 Questions
 1. Basic features of Indian Economy (4 questions)

2. Sustainable Development and Economic issues (4 questions)
3. Economic Reforms and Globalization (2 questions)
- (E) **Science & Technology:** 15 Questions
1. General Science (6 questions)
2. Agriculture & Technology Development (6 questions)
3. Information & Communication Technology (3 questions)
- (F) **Jharkhand Specific Questions (General Awareness of its History, Society, Culture & Heritage :)** 10 Questions
- (G) **National & International Current Events :** 15 Questions
- (H) **General Questions of Miscellaneous nature, not requiring subject specialization, such as, :** 15 Questions
1. Human Rights
2. Environmental Protection, Bio-diversity & Climate Change
3. Urbanization
4. Sports
5. Disaster Management
6. Poverty and Un-employment
7. Awards
8. United Nations and other International Agencies

General Studies Paper-II

पूर्णांक : 200

समय : 2 घण्टे

इस पत्र में 100 बहुवैकल्पिक/वस्तुपूरक (Objective types) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

- A. झारखण्ड का इतिहास:- 8 प्रश्न 8 X 2 = 16
(क) मुण्डा शासन व्यवस्था - (1 प्रश्न)
(ख) नागवंशी शासन व्यवस्था - (1 प्रश्न)
(ग) पड़हा पंचायत शासन व्यवस्था - (1 प्रश्न)
(घ) मांझी परगना शासन व्यवस्था - (1 प्रश्न)
(ङ) मुण्डा मानकी शासन व्यवस्था - (1 प्रश्न)
(च) ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था - (1 प्रश्न)
(छ) जातीय पंचायत शासन व्यवस्था - (2 प्रश्न)
- B. झारखण्ड आन्दोलन :- 7 प्रश्न 7 X 2 = 14
(क) झारखण्ड के सदान - (1 प्रश्न)
(ख) झारखण्ड के आदिवासी - (1 प्रश्न)
(ग) झारखण्ड के स्वतंत्रता सेनानी - (1 प्रश्न)
(घ) झारखण्ड के विभूति - (2 प्रश्न)
(ङ) झारखण्ड आन्दोलन एवं राज्य गठन - (2 प्रश्न)
- C. झारखण्ड की विशिष्ट पहचान :- 5 प्रश्न 5 X 2 = 10

- (क) झारखण्ड की सामाजिक स्थिति - (1 प्रश्न)
 (ख) झारखण्ड की सांस्कृतिक स्थिति - (1 प्रश्न)
 (ग) झारखण्ड की राजनीतिक स्थिति - (1 प्रश्न)
 (घ) झारखण्ड की आर्थिक स्थिति - (1 प्रश्न)
 (ङ) झारखण्ड की धार्मिक विशिष्टताएँ एवं पहचान - (1 प्रश्न)
- D. झारखण्ड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति:- 5 प्रश्न 5 X 2 = 10
- (क) लोक साहित्य - (1 प्रश्न)
 (ख) पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य - (1 प्रश्न)
 (ग) लोक संगीत एवं वाद्य - (1 प्रश्न)
 (घ) दर्शनीय स्थल-प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक धार्मिक एवं आधुनिक स्थल - (1 प्रश्न)
 (ङ) आदिवासी-जाति-प्रजाति एवं विशेषताएँ - (1 प्रश्न)
- E. झारखण्ड की साहित्य और साहित्यकार 5 X 2 = 10
 झारखण्ड की साहित्य एवं साहित्यकार - (5 प्रश्न)
- F. झारखण्ड के प्रमुख शिक्षण संस्थान 3 X 2 = 6
 प्रमुख शिक्षण संस्थान - (3 प्रश्न)
- G. झारखण्ड के खेल-कूद - (5 प्रश्न) 5 X 2 = 10
- H. झारखण्ड के भूमि सम्बन्धी कानून/अधिनियम :- 12 X 2 = 24
 (क) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (C.N.T.) - (5 प्रश्न)
 (ख) संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (S.P.T.) - (5 प्रश्न)
 (ग) अन्य राज्य परक अधिनियम - (2 प्रश्न)
- I. 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास झारखण्ड का भूगोल- जंगल, नदी, पहाड़-पर्वत, खान-खनिज आदि-(10 प्रश्न) 10 X 2 = 20
- J. झारखण्ड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ - (6 प्रश्न) 6 X 2 = 12
- K. झारखण्ड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास - (5 प्रश्न) 5 X 2 = 10
- L. झारखण्ड की प्रमुख योजनाएँ एवं उपयोजनाएँ - (5 प्रश्न) 5 X 2 = 10
- M. झारखण्ड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य - (5 प्रश्न) 5 X 2 = 10
- N. झारखण्ड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन (Mitigation) एवं अनुकूलन (Adaptation) संबंधी विषय - (7 प्रश्न) 7 X 2 = 14
- O. झारखण्ड में आपदा प्रबंधन - (5 प्रश्न) 5 X 2 = 10
- P. झारखण्ड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं - (7 प्रश्न) 7 X 2 = 14

(B) **मुख्य परीक्षा** :- मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप तीन गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मुख्य परीक्षा 06 (छः) पत्रों की होगी जिसका कुल पूर्णांक 1050 होगा। मुख्य परीक्षा के सभी विषयों/पत्रों में अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् है :-

MAIN EXAMINATION (No optional subjects. All are common compulsory Papers)			
Subject	Duration	Full Marks	Remarks
Paper-I: General Hindi & General English, having two separate sections on (i) General Hindi, and (ii) General English, each of 50 marks	3 hours	100	DESCRIPTIVE TYPE This paper is qualifying in which minimum 30 marks is mandatory
Paper-II: Language and Literature: Under this paper, every candidate will have to opt for one Language and Literature out of fifteen which is listed in the Commission's website.	3 hours	150	DESCRIPTIVE TYPE
Paper-III: Social Sciences, having two distinct sections on (i) History (ii) Geography, each of equal weightage.	3 hours	200	DESCRIPTIVE TYPE
Paper-IV: Indian Constitution & Polity, Public Administration & Good Governance	3 hours	200	DESCRIPTIVE TYPE
Paper-V: Indian Economy, Globalization and Sustainable Development	3 hours	200	DESCRIPTIVE TYPE
Paper-VI: General Sciences, Environment & Technology Development	3 hours	200	DESCRIPTIVE TYPE

(C) **व्यक्तित्व परीक्षण (Personality Test)** :- मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों का व्यक्तित्व परीक्षण (Personality Test) आयोजित किया जायेगा।

NOTE:-The detailed syllabus of all above six papers including preliminary examination papers is separately available on JPSC's website, www.jpssc.gov.in

12. प्रारंभिक, एवं मुख्य परीक्षा का न्यूनतम अर्हतांक निम्न प्रकार निर्धारित है जिसे प्राप्त करना अनिवार्य होगा :-

अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-I	34 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-II	36.5 प्रतिशत

नोट:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-8315 दिनांक-16.09.2015 के आलोक में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्हतांक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

13. **मेधा सूची** :- उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, एकीकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की विहित, किन्तु समेकित, एकीकृत मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी ; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा के पश्चात् अंतिम परीक्षाफल भी समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत/प्रकाशित किया जायेगा।

14. **कदाचार:- कदाचार (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है:-**
- Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:
- Obtaining support of his/her candidature by any means, or
 - Impersonating, or
 - Procuring impersonation by any person, or
 - Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or
 - Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
 - Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
 - Using unfair means during the test, or
 - Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script (s), or
 - Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
 - Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
 - Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
 - Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or
 - To be debarred either permanently or for a specified period:-
 - Canvassing in any form written or otherwise effecting examination process will disqualify a candidate.
15. वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
16. **परीक्षा शुल्क:-**
- परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
 - झारखण्ड राज्य के पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रु0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रु0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है।
 - बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**
 - दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
 - परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

17. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश

- (क) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है, परंतु कडिका-17(थ) में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रेमाणित Hard Copy निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ग) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (घ) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ङ) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :-
- (च) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.- 0651/2213009 संपर्क किया जा सकता है।
- (छ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेगे।
- (ज) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (झ) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (ञ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।
- (ट) जन्म तिथि- आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।
- (ठ) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (ड) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ढ) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ण) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (त) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

- (थ) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों यथा जन्म तिथि के लिए मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, स्नातक उत्तीर्णता अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (कंडिका-7 के अनुसार), अनापत्ति प्रमाण पत्र (झारखण्ड सरकार के स्थायी सेवकों को उम्र सीमा में छूट हेतु) विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट हेतु) तथा भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (उम्र सीमा में छूट हेतु) की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक-29.01.2018 तक अनिवार्य रूप से "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" के पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या-27/2017 तथा परीक्षा का नाम यथा- "संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रतियोगिता परीक्षा" मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

18. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक 05.12.2017 से 19.01.2018 रात 11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं
- (ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से दिनांक-19.01.2018 रात्रि 11.45 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (ग) उक्त कंडिका-17 (थ) के अनुसार Online आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में स्पीड-पोस्ट/निबधित डाक/या हाथोंहाथ आयोग कार्यालय में प्राप्ति की अंतिम तिथि-29.01.2018 होगी।
- (घ) दिनांक-19.01.2018 के बाद दिनांक-22.01.2018 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (ङ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-

सचिव

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।